



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-1/2022/डी-1394

दिनांक:- 16/5/2022

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

प्रार्थी श्री नरेश कुमार अरोड़ा पुत्र श्री बिहारी लाल अरोड़ा व अन्य को श्री मौजी हा.को.सो.लि. जयपुर की योजना मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर जयपुर के भूखण्ड संख्या 49-50 (उत्तरी एवं दक्षिणी भाग) क्षेत्रफल 895.46 वर्गगज पुनर्गठन किया गया है जिनकी अलग-अलग आवासीय लीजडीड जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिन्दु संख्या-2 के उपबिन्दु संख्या-iv के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर विकास योजना 2025/जोनल विकास योजना संख्या-01 में दर्शित मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साइट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 30 फीट रोड़ (33.87 व.ग. का उपहार नामा), दक्षिण दिशा की ओर प्लॉट नं-51, पूर्व दिशा की ओर 80 फीट रोड़ एवं पश्चिम दिशा की ओर भूखण्ड सं-52 व 63 है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस (निर्मित भूखण्ड हेतु) की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 16-5-22 को जारी की गई।

3-5-22
सचिव

जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक (विधि), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान), जविप्रा, जयपुर।
8. तहसीलदार, तहसील व जिला जयपुर।
9. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भिजवाकर लेख है कि निर्धारित समाचार पत्रों में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।
(विज्ञप्ति को प्रकाशन 8 फॉन्ट साइज में होना चाहिए)
10. रक्षित पत्रावली।

1
16/5/22
उपायुक्त जोन-1
जविप्रा जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-1335

दिनांक:- 16/5/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	खातेदार का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	91	हरे कृष्णा विलेज-द्वितीय (निजी खातेदारी)	श्रीमती सजना देवी पत्नी स्व० श्री बद्री नारायण	मैसर्स हरे कृष्णा होटल्स प्रा०लि० डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरणमल मोदी	पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 07.03.2022
2	43	हरे कृष्णा विलेज-द्वितीय (निजी खातेदारी)	श्रीमती भारती आर्य पत्नी श्री केशव देव आर्य	मैसर्स हरे कृष्णा होटल्स प्रा०लि० डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरणमल मोदी	पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 29.03.2014
3	43-ए	हरे कृष्णा विलेज-द्वितीय (निजी खातेदारी)	श्री राजेन्द्र कुमार आर्य पुत्र श्री मनमोहन आर्य	मैसर्स हरे कृष्णा होटल्स प्रा०लि० डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरणमल मोदी	पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 29.03.2014

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-2572515) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {} : फैक्स- +91-141-2574555

D-Drive/Zone-8/Kallash/Amin JJ/Letter



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 2819

दिनांक:- 9-5-2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	321	194.44 व.ग.	अपोलो नगर हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की योजना नन्दपुरी बी	सन्तोष देवी पत्नी श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल	रिंकु पुत्री श्री श्याम सुन्दर	एफ.आई. आर, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि: जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

PRG/R-367
17.5.22

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91)-141-सम्बंधित कार्यालय : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी- 2908

दिनांक:- 16.5.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड किया गया हैं। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र.स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए-24	206.10 वर्ग मीटर	जविप्रा कर्मचारी योजना टीलावाला	श्रीमती रतनी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द एवं श्री दौलत राम पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री लादुराम	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र।

उपायुक्त जोन-9,
जयपुर, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावे।

उपायुक्त जोन-9,
जयपुर, जयपुर।

17.5.22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू0ओ0नोट

सार्वजनिक विज्ञप्ति

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क.सं.	आवेदक का नाम/पिता/पत्नि का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती सुमन कंवर पत्नी श्री दयाल सिंह (श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना गोकुल विहार)	16	133.33
2	श्री गणेश राम महला पुत्र श्री भगवानाराम महला, अपंजीकृत इकरारनामा (लक्ष्मी नगर गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना हर्ष वाटिका)	3	482.58
3	श्री संदीप अत्रेय पुत्र श्री नन्द किशोर	सी-24	375
4	श्रीमती सुनीता महर्षि पत्नी श्री राजेश महर्षि पुत्री नटवर लाल लाटा (हथरोईगढी गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना संस्कार विहार-सी)	सी-23	375
5	श्री सुभाष चन्द शर्मा पुत्र श्री मंगलराम शर्मा	30 दक्षिणी भाग	100
6	श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री मंगलराम शर्मा (महाराणा प्रताप गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना श्री करणी उमा विहार ब्लॉक बी एवं सी)	30 उत्तरी भाग	100
7	श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह	20 पश्चिमी भाग	62.02
8	श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह (मीनावाला गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना मीनाक्षीपुरम मेन)	20 पूर्वी भाग	62.02
9	श्रीमती कमलेश कंवर पत्नी श्री राम सिंह राठौड (रामराजपुरा गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना जनक विहार)	107	217
10	श्रीमती शकुन रमेश गर्ग पत्नी स्व. श्री रमेश गर्ग जरिये मुख्तारनामा आम श्री विकास रमेश गर्ग पुत्र स्व. श्री रमेश गर्ग (म्युचुअल हा0 को-ऑपरेटिव सो.लि. जयपुर की योजना नारायणपुरी-ए)	ए-46	472.22

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/उपा/पीआरएन/उत्तर-1/2022/डी- 574
दिनांक:- 10/05/22

उपायुक्त, जयपुर, प्रीतिमहल, उत्तर-1
पीआरएन/जविप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय-पृथ्वीराज नगर-उत्तर(प्रथम), चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2021/डी- 561

दिनांक 5/5/22

सूचना

बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना रिद्धि-सिद्धि-5 के भूखण्ड 65 की लीजडीड नीरज कुमावत पुत्र श्री विजय कुमावत के नाम जोन द्वारा दिनांक 27.10.2015 को जारी की गई थी। आवेदक श्री नीरज कुमावत ने ऑन लाईन आवेदन क्रमांक 103233 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के दस्तावेजात गुम की दर्ज एफ.आई.आर के आधार उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा चाहा गया है। अतः उक्त भूखण्ड संख्या 65 योजना रिद्धि-सिद्धि-5 का फ्री होल्ड पट्टा आवेदक के नाम जारी किये जाने में किसी को कोई आपत्ति हो इस सूचना के 07 दिवस में जोन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

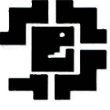


उपायुक्त पीओएन-उत्तर(प्रथम)
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि! -

- ① जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर के सूचनार्थ अवगत हो
विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु अवगत हो

PRR-370
17.5.22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी-1333

दिनांक :- 13.5.22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाई आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	103391	71	संतोष नगर	श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राम करन शर्मा	श्रीमती पुष्पलता शर्मा पत्नि डॉ. सुनित कुमार शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
2.	59680	ए-407	त्रिवेणी नगर	श्री विशाल जुत्सी पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार जुत्सी	श्री विनोद कुमार जुत्सी पुत्र श्री मदन मोहन किशन जुत्सी	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र
3.	99092	94	हरियाण कॉलोनी	श्री प्रकाश चन्द जैन एवं श्री देवेन्द्र कुमार जैन	श्री गुल्ला उर्फ गुलाब चन्द पुत्र श्री रामानन्द	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग त्याग पत्र
4.	98936	98	गोपालपुरा बी	श्री पन्ना लाल अगदायमावर पुत्र श्री राम प्रताप	श्री पूरण मल मीना पुत्र श्री श्योनारायण	गुमशुदगी दर्ज रिपोर्ट
5.	101918	964	देवी नगर	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री गोविन्द सिंह एवं श्री विक्की सिंह बिष्ट पुत्र श्री गोविन्द सिंह	श्री के. के. मिश्रा पुत्र श्री परमेश्वर मिश्रा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा शपथ पत्र

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/22/डी-1456

दिनांक :-17/5/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.सं.-31	4 पी जमनुपरी (मोती भवन गृ.नि.स. स.)	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री अजय कुमार अग्रवाल	श्रीमती छिगनी देवी पत्नी श्री मुखी लाल	अपंजीकृत इकरारनामा होने के कारण।
2.	भू.सं.-14ए	ग्राम बीड सरकारी, खसरा नम्बर-84	श्री अरुण जांगिड व विनोद कुमार जांगिड पुत्रान् अशोक कुमार जांगिड	श्री अरुण जांगिड व विनोद कुमार जांगिड पुत्रान् अशोक कुमार जांगिड	लीजडीड जारी करने बाबत्।

- ६ -
उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

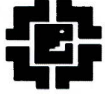
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-6
जयपुर
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : {rajasthan.gov.in}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी- 2418

दिनांक 17/05/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम
1.	जी-61	सलीम शाह	जविप्रा	बक्सावाला

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

-sd-
उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

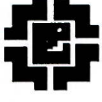
21.7-
उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर।

PRD/R-374
17.5.22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2420

दिनांक 17/05/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	3	300.00 व.ग.	श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री राजेश जैन	श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स. स.लि.	पदम विहार

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PROK-373
17.5.22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
JDA
Urban Rajasthan

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-2098 दिनांक:- 17-5-2022

-:सूचना:-

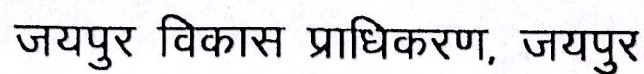
पृथ्वीराज नगर में निम्न योजना के निम्न भूखण्डधारी ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर. एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई भी आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (घ.ग.)
1	श्रीमती वर्षा गोयल पत्नी श्री तरुण गोयल (हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि. की योजना क्षीर सागर विस्तार)	06	527.06


उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

हस्तक्षेपित कार्यालय : (+91-141-2569696 एक्स्टेंशन : (सम्बंधित कार्यालय); फ़ैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



क्रमांक जयिप्रा/जोन-12/2022/डी-1015

File # 16-3-2022

[illegible]

अतः उक्त भूमि का उपयोग मुख्यतः जन आवास प्रयोजन तथा उपयोग के स्थान पर मानव आवासों के अनुसंधान किये जाने के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/विद्यार्थी को पापुआ न्यूगिनी के अर्थोपस्थापना के कार्यालय में प्रस्तुत कराये अन्यथा नियत अवधि पर मात नियमावली के प्रावधान में आगत कार्यवाही की जायेगी।

यह सुचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16-5-22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जॉन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जयिप्रा/उपा/जोन-14/2022/डी-2421

दिनांक 17/5/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है -

क्र.स.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	संमति का नाम/निजी खातेदारी/जयिप्रा	योजना का नाम
1	14/OG/484 14/OG/S-135 14/OG/S-119 14/OG/S-118 14/OG/S-138	श्रीमती जमना देवी फत्नी श्रीनारायण एव श्री गोपीराम गणपत लाल पुत्रान रव. श्री रामेश्वर	जयिप्रा	रिंग रोड परियोजना
2	14/OG-20	श्री कमलेश कुमार शर्मा	जयिप्रा	रिंग रोड परियोजना

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं सस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त (जोन-14)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि -

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (जोन-14)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101816

दिनांक: 17/05/2022

लोक सूचना

श्री M/S GARGI BUILDHOME LLP PARTNER SHRIRAM KUMAR KUMAWAT पुत्र श्री NAND RAM जाति KUMAWAT निवासी 411 LUHADIYA TOWER ASHOK MARG C-SCHEME JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	केशोपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GARGI BUILDHOME LLP	427	3800	0.38
कुल					0.38

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-05-2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-7/2022/डी-

913

दिनांक:

16/5/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित सुरजपोल गेट गृ.नि.स. की योजना-माँ वैष्णों नगर, ग्राम लालरपुरा के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या
1	श्री पूनम चन्द	श्री रेवन दास	बी-5-ए
2	श्री राधेश्याम	श्री गुल्लाराम	बी-7-ए
3	श्रीमती सुमित्रा दास	श्री सुशील कुमार	बी-70-ए
4	श्रीमती बीना देवी	श्री हरीश गोस्वामी	बी-52
5	श्रीमती पारुल सिंह	श्री पवन कुमार	बी-31
	श्री पवन कुमार	श्री धर्मवीर सिंह तोमर	
6	श्रीमती मंजू नेगी	श्री सन्तन सिंह नेगी	बी-13
7	श्रीमती सुन्दरी देवी	श्री गजेन्द्र सिंह पंवार	बी-15
8	श्रीमती ललिता बेन	अन्नु भाई	बी-06
9	श्रीमती सरोज रावत	दिनेश सिंह रावत	बी-14
10	श्रीमती रचना जैन	श्री प्रदीप कुमार	बी-69-ए
	श्रीमती आशा शेखावत	श्री रघुवीर सिंह	
11	श्रीमती आनन्दी देवी	श्री गोरधन सैन	सी-71-ए
12	श्रीमती सोनाकी राय	श्री बीषादु राय	सी-20
13	श्री प्रसादी लाल	श्री रामखिलाडी	सी-40-ए
14	श्रीमती राजकुमारी निराला	श्री प्रसादी लाल	सी-40
15	श्रीमती सुशीला देवी	श्री राजे सिंह	सी-61 व सी-62
16	श्रीमती मीना देवी, करिश्मा, शिवानी बिष्ट	स्व. श्री देवेन्द्र सिंह	सी-21-बी
17	श्री ओमप्रकाश	श्री कल्याण सहाय	सी-35
18	श्रीमती पुष्पा देवी	श्री बलराज	सी-03
19	श्रीमती ललिता देवी	श्री रामेश्वर गुर्जर	सी-01-ए
20	श्री राजेश सिंह रमेश सिंह	भगतसिंह	सी-54

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर